

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-उनि/सशि/एफ-501/निशु/पापु/2020-21/219

दिनांक - 06/02/2020

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।

अति-आवश्यक


विषय :- शैक्षिक सत्र 2020-21 में शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मॉड्यूल में मांग लॉक करने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक - 186-187 दिनांक 08.01.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राजकीय विद्यालयों के कक्षा 01 से 12 में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग संबंधी प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 18.01.2020 तक अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए थे। शाला दर्पण पोर्टल पर नोडल मोनेटरिंग रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह ध्यान में आया है कि अभी तक भी मॉड्यूल में शत-प्रतिशत प्रविष्टि नहीं हो पाई है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ संस्था प्रधानों को दिनांक 10.02.2020 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में मांग संबंधी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण करने के लिए पाबन्द करे इस संबंध में यदि पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला वितरण केन्द्र द्वारा इश्यूड पुस्तकों एवं नोडल द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या में यदि अन्तर आ रहा है तो मण्डल के जिला वितरण केन्द्र प्रभारी से संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर कार्य पूर्ण करवाएं। दिनांक 10.02.2020 के पश्चात मॉड्यूल लॉक कर दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी किसी विद्यालय/नोडल की मांग संबंधी प्रविष्टि लॉक नहीं होती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी आपकी होगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे।


(हिमांशु गुप्ता) 06/02
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिकशिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिला वितरण केन्द्रों को उक्तानुसार सहयोग बाबत पाबन्द करें।
3. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट एवं शाला दर्पण पर अपलोड करने बाबत।
5. उपनिदेशक/कार्यक्रम प्रभारी, शाला दर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. समस्त जिला शिक्षा शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक/माध्यमिक।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. समस्त सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
9. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान
बीकानेर